न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या एम/03/12/2018

रानी देवी प्रति अजय प्रताप उर्फ विजय आदि

23.01.2018

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) दं०प्र०स० पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संबंधित थाने की आख्या के अनुसार प्रकरण के संबंध में कोई अभियोजन थाना हाजा पर पंजीकृत नहीं है।

मुताबिक प्रार्थनापत्र, प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण/ससुरालीजन पर अतिरिक्त दहेज की मांग करना तथा मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुये मारपीट कर घर से निकाल देना एवं पिता व भाई को मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देने व लात घूंसों से मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है । मामला वैवाहिक/पारिवारिक मतभेद से सम्बन्धित है तथा आपस में निकटस्थ रिश्तेदार है । सभी तथ्यों व गवाहों की जानकारी प्रार्थिनी को है। घटना स्वयं प्रार्थिनी के साथ घटी है, जिसे वह स्वयं साबित कर सकती है । विवेचना से कोई भी नया तथ्य स्पष्ट होने की संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई साक्ष्य संकलन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः विवेचना कराया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय स्वयं भी जरिये जांच इन तथ्यों का संज्ञान ले सकता है और इसमें किसी भी पक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। अतएव प्रस्तुत मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था मो0 यूसुफ बनाम आफाक जहां एवं अन्य 2006 (54) ए0सी0सी0 530 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सुखवासी लाल बनाम उ0प्र0 राज्य 2008 सी0 आर0एल0जे0 472 के आलोक में परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान धारा 200 द0प्र0सं0 21.02.2018 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज